2024:CGHC:34478

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 45/2024

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 25.07.2024

आदेश उद्घोषित करने का दिनांक 05.09.2024

1.घनश्याम तिवारी पिता स्व. खुलू राम,आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी– मोपका, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. अशोक शर्मा पिता स्व. राम कुमार शर्मा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी– सूर्या विहार, राजकिशोर नगर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. अरविंद मिश्रा (बन्टी महाराज त्रुटिपूर्ण अंकित) पिता लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, आयु लगभग 43, निवासी पंधी, तहसील मस्तूरी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---आवेदकगण

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. द्वारिकाधीश साहू पिता स्व. श्री शिवनाथ साहू, आयु लगभग 34 वर्ष ग्राम बिजोर, पोस्ट बहतराई, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ

2. थाना प्रभारी, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ

3. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा:पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा: पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

5. भगवत प्रसाद पिता मनबोधि साहू, निवासी– ग्राम बिजौर, पोस्ट बहतराई, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

6. माधव प्रसाद पिता भागवत प्रसाद निवासी– ग्राम बिजौर, पोस्ट बहतराई, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

7. पंचराम साहू पिता राधे निवासी– ग्राम बिजौर, पोस्ट बहतराई, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

8. अजय लाश्कर पिता फेकूलाल निवासी– ग्राम बिजौर, पोस्ट बहतराई, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

9. सुखीराम कौशिक, निवासी– ग्राम बिजौर, पोस्ट बहतराई, जिला बिलासपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़.

--- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से	:	श्री प्रांजल अग्रवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से	:	श्री अच्युत तिवारी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	:	श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. यह पुनरीक्षण, बिलासपुर के विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 17/2023 में दिनांक 27.09.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर द्वारा दिनांक 10.12.2022 को पारित आदेश से प्रोद्भूत है, जिसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उत्तरवादीगण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है और दिनांक 27.09.2023 के आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश के अन्तर्गत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को परिवाद के रूप में माना जाए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अनुसार आगे कार्यवाही करे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 के बड़े भाई कृष्णचंद की मृत्यु हो गई है, अतः खसरा क्रमांक 307/1 क्षेत्रफल 0.04 एकड़, 308/1 क्षेत्रफल 0.02 एकड़, 297/2 क्षेत्रफल 2.40 एकड़, 386/4 क्षेत्रफल 0.51 एकड़, 386/6 क्षेत्रफल 0.51 एकड़, 309/2 क्षेत्रफल 0.01 एकड़, 310/1 क्षेत्रफल 0.02 एकड़, 383/3 एवं 384/3 क्षेत्रफल 4.11 एकड़, 340/1 क्षेत्रफल 0.06 एकड़ तथा खसरा क्रमांक 38/1 एवं 38/2 क्षेत्रफल 0.83 कुल 8.51 एकड़ भूमि ग्राम बिजौर, पटवारी हल्का क्रमांक 20 राजस्व वृत्त, बिलासपुर में स्थित है, अतः उत्तरवादी क्रमांक 1 इस भूमि का स्वामी बन गया। सम्पूर्ण भूमि का स्वामी है। आरोप है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शासकीय प्राधिकारियों से मिलीभगत कर अपने पुत्रों के नाम कूटरचित वसीयत तैयार कर राजस्व अभिलेख में उनके नाम परिवर्तित कर लिए हैं। इस पर आवेदक एवं उत्तरवादीगण ने दिनांक 07.02.2018 को द्वारिकाधीश साहू/उत्तरवादी क्रमांक 1 का अपहरण कर लिया तथा उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा दस्तावेजों पर बलपूर्वक अंगूठा लगवा लिया, जिसकी लिखित परिवाद पीड़ित की पत्नी ने दिनांक 27.02.2018 को थाना सरकंडा में की। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक एवं महिला आयोग में लिखित परिवाद के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर परिवादी/उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक क्रमांक 1 से 3 एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

पंजीबद्ध करने की मांग की। 5 व 9 के अधीन अपराध करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 364, 364क, 365,194, 198, 324, 329, 307, 403, 417, 420, 467, 468 तथा 471 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष कथित यातना और अपहरण के लिए दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर ने दिनांक 10.12.2022 के आदेश के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आधार पर कि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था कि थाना प्रभारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने और प्रकरण का अन्वेषण करने से इनकार कर दिया, इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) का गैर–अनुअनुपालन है और तदनुसार इसने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को खारिज कर दिया है।

4. दिनांक 10.12.2022 के अस्वीकृति आदेश से व्यथित होकर, उत्तरवादी क्रमांक 1/परिवादी ने तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिन्होंने दिनांक 27.09.2023 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 10.12.2022 के आदेश को अपास्त किया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को परिवाद के रूप में मानने और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. आवेदकों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश विकृत और अवैध है तथा इसे निरस्त किया जाए। आगे उनका तर्क है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन निर्देश जारी किया है कि मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का प्रयोग किया या नहीं तथा उसे आगे कार्यवाही करने के लिए कोई प्रकरण मिला या नहीं। उन्होंने आगे तर्क किया कि परिवाद दर्ज करने में विलम्ब हुआ है क्योंकि कथित घटना के छह माह पश्चात धारा 156(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा केवल इसी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण को खारिज किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने निजी परिवाद हेतु प्रतिपादित दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 की प्रक्रिया का अनुअनुपालन करने के लिए विचारण न्यायालय को निर्देशित कर अवैधता की है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) व 200 के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति में बहुत अंतर है। उन्होंने आगे तर्क किया कि जेएमएफसी के आदेश पत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2018 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रक्रिया का अनुअनुपालन करने के

लिए पूर्व ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी है और न्यायालय ने पूर्व ही थाना सिविल लाइंस से रिपोर्ट तलब की है जो दिनांक 05.07.2019 को प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनः दिनांक 18.08.2020 को रिपोर्ट मांगी है एवं तत्पश्चात प्रकरण को बहस के लिए तय किया गया था, ऐसे में अध्याय 15 के अधीन प्रक्रिया का अनुअनुपालन करने का निर्देश अवैध है और इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क किया कि राज्य द्वारा प्रतिउत्तर में प्रस्तुत की गई दिनांक 22.01.2020 की रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि परिवाद में अधिरोपित आरोप मिथ्या हैं, ऐसे में आवेदकों के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। उन्होंने आगे तर्क किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अनुसार परिवादी को पुलिस थाने और राज्य के समक्ष परिवाद दर्ज करानी होती है, जब पुलिस परिवाद पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, जिस पर परिवादी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए विद्वान जेएमएफसी ने उचित रुप से इसे खारिज किया है। इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैधता और अनियमितता की है, जिसे इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना चाहिए।

6. उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता का तर्क है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 और अध्याय 15 की योजना से यह स्पष्ट है कि दो अलग–अलग स्थितियों पर विचार करना है। अध्याय 12 पुलिस प्राधिकरण की सूचना प्राप्त होने पर संज्ञेय अपराध के संबंध में जांच करने की शक्ति से संबंधित है और अध्याय 15 अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत परिवाद से संबंधित है। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विद्वान मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है क्योंकि जांच के दोनों तरीके उपलब्ध हैं, अतः पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और इस प्रकार पुनरीक्षण को खारिज करने की प्रार्थना की हैं। अपने तर्क को संपुष्ट करने के लिए उन्होंने र**मेशभाई पांडुराव हेडाऊ विरुद्ध गुजरात राज्य 2010(4) एससीसी 185** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया और मेसर्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध तेलंगाना राज्य व अन्य, दाण्डिक अपील क्रमांक 2574/2024 में दिनांक 14 मई, 2024 को पारित निर्णय का भी संदर्भ दिया।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आदेश गंभीर अनियमितता और अवैधता से ग्रसित है और वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण को खारिज करने की प्रार्थना की।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत निवेदन से, इस न्यायालय द्वारा अवधारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आए:–

(1) क्या पुलिस को अन्वेषण हेतु निर्देशित करना अपराध का संज्ञान लेने के समान है?

(2) क्या विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अधीन प्रक्रिया का अनुअनुपालन करने हेतु निर्देशित करना युक्तियुक्त था, जबकि मजिस्ट्रेट ने पूर्व ही पुलिस को प्रकरण का अन्वेषण करने हेतु निर्देशित किया है?

बिन्दु क्रमांक 1

10. प्रथम अवधारणीय बिंदु को समझने हेतु इस न्यायालय के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संबंध में संज्ञान की अवधारणा को समझना आवश्यक है। यह सुस्पष्ट है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया है। विधिक उलझन को उजागर करने के लिए, 'संज्ञान' का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए सब कुछ स्पष्ट कर देगा; अतः यह न्यायालय संज्ञान शब्द की जांच करने के लिए विभिन्न विधिक शब्दकोशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ ले रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यूलेक्सिकन वेबस्टर डिक्शनरी, (1988) न्यूयॉर्क, संज्ञान शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है, "मानसिक अवलोकन या जागरूकता की सीमा, जागरूक होने का तथ्य, ज्ञान, (विधि) किसी दिए गए प्रकरण से निपटान हेतु न्यायालय को दी गई शक्तियाँ, अधिकारिता।"

शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, छठा संस्करण, शब्द 'कॉग्निजेंस' को पुरानी फ्रांसीसी "कॉनिस(एस)औंस" से परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है "ज्ञान, समझ, परिचय, जागरूकता," और विधि के संदर्भ में, "स्वीकृति, विशेष रूप से जुर्माने की; कथित तथ्य की स्वीकृति।"

व्हार्टन के विधि लेक्सिकन (14 वां संस्करण) में संज्ञान को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, संज्ञान (न्यायिक), वह ज्ञान जिसके आधार पर न्यायाधीश साक्ष्य में साबित हुए बिना कार्य करने के लिए बाध्य है: जैसे कि क्षेत्र के लोक विधि, क्षेत्र का प्राचीन इतिहास, संसद में कार्यवाही का क्रम और क्रम, हाउस ऑफ़ कॉमन्स के विशेषाधिकार, किसी विदेशी राज्य के साथ युद्ध का अस्तित्व, राजा की कई मुहरें, उच्चतम न्यायालय और उसका अधिकारिता, और कई अन्य चीज़ें। एक न्यायाधीश वर्तमान

घटनाओं का संज्ञान लेने के लिए बंधनकारी नहीं है, चाहे वे कितनी भी कुख्यात क्यों न हों, या अन्य देशों के विधि का।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9 वें संस्करण में संज्ञान का अर्थ निम्नानुसार है:– संज्ञान:– (1) न्यायालय का अधिकारिता अवधारित करने का अधिकार, (2) अधिकारिता से आधिकारिक नोटिस लेना। (3) कथित तथ्यों की स्वीकृति या स्वीकारोक्ति, अर्थदण्ड की स्वीकृति।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जमुना सिंह विरुद्ध भदई शाह एआईआर 1964 एससी 1541, दर्शन सिंह रामकृष्ण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 1972 1 एससीआर 571, निर्मलजीत सिंह हून विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य 1973 (3) एससीसी 753, देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी विरुद्ध नारायण रेड्डी एआईआर 1976 एससी 1672, किशुन सिंह वअन्य विरुद्ध बिहार राज्य 1993(2) एससीसी 16, पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध मोहम्मद खालिद 1995(1) एससीसी 684, नरसिंह दास तापड़िया विरुद्ध गोवर्धन दास परतानी 2000(7) एससीसी 183, भगत राम विरुद्ध. सुरिंदर कुमार 2004(11) एससीसी 22,एस.के.सिन्हा, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी विरुद्ध वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 2008(2) एससीसी 492, भूषण कुमार विरुद्ध राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2012(5) एससीसी 424, सारा मैथ्यू विरुद्ध हृदय रोग संस्थान इसके निदेशक द्वारा 2014(2) एससीसी 62** के प्रकरणों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की अस्पष्टता के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान की जांच की है और आगे अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस को जांच के लिए निर्देश जारी करने का यह अभिप्रेत नहीं है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए संज्ञान उस समय होता है जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध पर न्यायिक संज्ञान लेता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन मजिस्ट्रेट किसी परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा प्राप्त सूचना पर अपराध का संज्ञान ले सकता है। जहां उसके समक्ष कोई परिवाद प्रस्तुत की जाती है, वह धारा 200 के अधीन उसमें किए गए अपराध का संज्ञान ले सकता है और फिर परिवादी और उसके साक्षियों की जांच कर सकता है। ऐसी जांच का प्रयोजन यह ज्ञात करना है कि परिवाद में अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है या नहीं और ऐसी परिवाद पर प्रक्रिया जारी होने से रोकना है जो झूठी या परेशान करने वाली हो या केवल ऐसे व्यक्ति को परेशान करने के आशय से की गई हो। इसलिए ऐसा अन्वेषण यह ज्ञात करने हेतु प्रदान की जाती है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, तभी यह कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेना परिवादी द्वारा परिवाद दर्ज करने से अलग है। संज्ञान लेने का अभिप्रेत होगा न्यायालय द्वारा उस अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही आरंभ करने के लिए की गई कार्रवाई जिसके संबंध में परिवाद दर्ज की गई है। यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कहने से पहले कि किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, यह दर्शाया जाना चाहिए कि उसने परिवादी के कहने पर प्रकरण में आगे कार्यवाही करने के प्रयोजन से तथ्यों पर अपना ध्यान लगाया है। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने परिवाद पर कार्रवाई करने के प्रयोजन से नहीं बल्कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विचारित किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के लिए जैसे धारा 156(3) के अधीन जांच का आदेश देना या तलाशी वारंट जारी करना, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है।

12. उपर्युक्त विधिक प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेना परिवादकर्ता द्वारा परिवाद दर्ज करने से भिन्न है। संज्ञान लेने का अर्थ होगा कि न्यायालय द्वारा उस अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही आरंभ करने के लिए कार्रवाई की गई है जिसके संबंध में परिवाद दर्ज की गई है, ऐसे में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परिवाद का संज्ञान लेकर वापस नहीं आ सकते तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर सकते, गलत है क्योंकि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परिवाद का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, अतः विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 की प्रक्रिया का अनुपालनार्थ पारित निर्देश को विकृत या अवैध नहीं कहा जा सकता है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित है। इस प्रकार, आवेदक के खिलाफ बिंदु क्रमांक 1 का उत्तर यह निष्कर्ष दर्ज करके दिया जाता है कि पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट बुलाने का निर्देश देते समय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बिंदु क्रमांक 2

13. दूसरे बिंदु को समझने हेतु इस न्यायालय के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 156, 190, 200, 201, 202 व 203 को उद्धृत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:–

14. 156. संज्ञेय प्रकरणों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति–

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है ।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 निम्नानुसार है:–

190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान–(1) इस अध्याय क उपबंध के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है?

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर ;

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर ;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 15 मजिस्ट्रेट को किए जाने वाले परिवादों से संबंधित है। इसमें धारा 200 से धारा 203 तक चार खंड हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"200. परिवादी की परीक्षा–परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परंतु जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा –

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 92 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है :

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा ।

17. धारा 201– ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है–यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो–

(क) यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित, लौटा देगा :

(ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा।

18. धारा 202– आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना––(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो '[और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है] अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की फ्रैंच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है :

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा–.

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ; अन्यथा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. 203–परिवाद का खारिज किया जाना–यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

20. दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, जब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कार्यवाही करने के लिए अपना मन लगाता है, तो उसे परिवाद में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए माना जाना चाहिए। इस प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, वह पूर्व–संज्ञान चरण में है, अर्थात, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 190, 200 और 204 के अधीन संज्ञान लेने से पहले, यदि कोई मजिस्ट्रेट अध्याय 14 के प्रावधानों के अधीन संज्ञान लेने का निर्णय करता है, तो वह धारा 156 (3) के अधीन किसी भी जांच का आदेश देने का हकदार नहीं है, जबकि मामले में एक बार मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच के लिए निर्देश दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने परिवाद में आक्षेपित अपराध का संज्ञान लिया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना मन लगा दिया है। यह स्पष्ट है कि अध्याय 16 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने से पहले मजिस्ट्रेट सुस्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि धारा 156(3) के अधीन जांच का आदेश देने या जांच के प्रयोजन से तलाशी वारंट जारी करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला नहीं कहा जा सकता है। धारा 156(3) अध्याय 12 में आती है जो पुलिस को सूचना देने और अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियों से संबंधित है। यह धारा अध्याय 14 से अलग अध्याय में रखी गई है जो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 190 और 156(3) परस्पर अनन्य हैं और पूरी तरह से अलग–अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि यदि मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन परिवाद प्राप्त होती है, तो भी वह धारा 156 (3) के अधीन कार्रवाई कर सकता है और वह संज्ञान नहीं लेता है। इसलिए, पुलिस द्वारा जांच के लिए आदेश देने के लिए कोड की धारा 156 (3) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति को धारा 202 द्वारा छुआ या संलग्न नहीं किया गया है क्योंकि ये शक्तियां संज्ञान लेने से पहले भी प्रयोग की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 केवल उन प्रकरणों पर लागू होगी जहां मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और परिवाद की जांच खुद या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करना चाहता है। परंतु, वर्तमान प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, केवल जांच के निर्देश दिए हैं और उसके बाद परिवाद को खारिज कर दिया है, जिसे विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करने का निर्देश दिया है, जिसे अवैध या अनियमितता से ग्रसित नहीं कहा जा सकता है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के दायरे की जांच की है और स्पष्ट रूप से माना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही परिवाद का संज्ञान लेने से पहले की अवस्था है, जबकि परिवाद का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के अनुसार लिया जाता है जो बाद की अवस्था है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोपाल दास विरुद्ध असम राज्य में एआईआर 1961 एससी 986, तुला राम व अन्य विरुद्ध किशोर सिंह 1977 (4) एससीसी 459, एचएस बैंस, निदेशक, लघु बचत–सह–उप सचिव वित्त, पंजाब, चंडीगढ़ विरुद्ध राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) 1980 (4) एससीसी 631** में प्रतिवेदित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट उसके समक्ष प्रस्तुत की गई परिवाद की याचिका पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कार्यवाही करने के लिए अपना विचार लागू करता है, तो उसे परिवाद में उल्लिखित अपराध का संज्ञान लेने वाला माना जाना चाहिए। यद्यपि जब वह ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि धारा 156 (3) के अधीन जांच का आदेश देने या जांच के प्रयोजन से तलाशी वारंट जारी करने के लिए अपना विचार लागू करता है, तो उसे किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार बिन्दु क्रमांक 2 का उत्तर आवेदकों के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विधिक स्थिति व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन परिस्थितियों में प्रतिपादित विधि को विचार में रखते हुए अवश्यंभावी निष्कर्ष यह है कि वर्तमान प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर विचार करने से पहले धारा 156(3) के अधीन मामले का संज्ञान नहीं लिया और पुलिस द्वारा जांच का आदेश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के लिए परिवाद का संज्ञान लेना एवं विधि सम्मत अर्थात दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190, 200 व 202 के प्रावधानों के अनुसार उसका निपटान करना सदैव से खुला था, ऐसे में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 का अनुपालन करने का निर्देश देने वाला पारित आदेश अनियमितता या अवैधता से ग्रसित नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

24. तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका सारहीन है, यह खारिज किए जाने योग्य है एवं इसे खारिज किया जाता है।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur